

16<sup>11</sup>/<sub>23</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दोरे में है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 22-24 को पेश हो।

22<sup>2</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दोरे में है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-24 को पेश हो।

30<sup>5</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दोरे में है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5-24 को पेश हो।

5<sup>9</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी महोदय, दोरे में है।  
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 12-24 को पेश हो।

12<sup>12</sup>/<sub>24</sub> पत्रावली पेश हुई। स्वयं वादीगण अनुपस्थित। आभि. वादीगण भी अनुपस्थित। आभि. प्राति. उपस्थित। तीन बार रक-रक कर आवाज लगाई गई। लेकिन कोई उपस्थित नहीं हुआ। अतः प्रकरण को अन्तर्गत आदेश 9 नियम CPC अदम हाजरी अदम परी में खारीज किया जाता है। पत्रावली फंसल शुमार होकर नम्बर से काम होकर बाद तामील तकमील काखिल दफतर हो।



[Signature]  
उपखण्ड अधिकारी  
पिंपरी, जिला मालावाड़ (राज.)

